

पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0-(12-13) / 65 / 1314005 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अप्रैल 11 ,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, mRr j i.ni'kA

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2012-2013 में दिनांक 1-10-2012 से 30-9-2013 तक की अवधि के लिए एक मुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-क0नि0-263/ग्यारह-2-2013-9-(32)/09, दिनांक 01-03-2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0(2012-13)/1732/1213094/वाणिज्य कर, दिनांक 01-03-2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे ।

2- शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 01-03-2013 में दिये गये निर्देशों के बिन्दु-4 में उल्लेख किया गया है कि -

समाधान योजना के कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 20 दिन के अन्दर ईट भट्टा व्यवसायों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थनापत्र निर्धारित समाधान धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । उसके पश्चात् यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा । उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिए अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रदान कर दिया जाये एवं विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी ।

3- उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति (रजिस्टर्ड) लखनऊ का इस आशय का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है कि योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समिति स्तर से काफी प्रयास किया गया था फिर भी दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित जानकारी और सूचना के अभाव में अभी कुछ ईट भट्टे योजना स्वीकार नहीं कर पाये हैं । इसलिए योजना की सफलता और राजस्व लक्ष्य संग्रह के व्यापक हित में योजना को स्वीकार करने का समय शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 दिनों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4- मुख्यालय स्तर पर ईट निर्माता समिति के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। समाधान प्रार्थनापत्र का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 20 दिन एवं विलम्ब से ब्याज सहित जमा करने की अवधि 15 दिन, दिनांक 04-04-2013 को समाप्त हो गयी है। अतः राजस्व हित में एवं अधिक से अधिक ईट भट्टे समाधान योजना अपना सकें इसके लिए समाधान प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की अवधि दिनांक 04-04-2013 के पश्चात 30 दिन अर्थात् दिनांक 04-05-2013 तक बढ़ायी जाती है। विकल्प हेतु

--2--

निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक ईट भट्टे समाधान योजना का विकल्प अपना सकें।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर
mRrj in'k

पृ0प0सं0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0ऑडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।

- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री हुलास राय सिँघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र०।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (27) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।

--3--

- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (32) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ।
- (34) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (36) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (37) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (39) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (40) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (41) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (42) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (44) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (46) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (48) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (49) इन्डियन इण्ड०एसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।
- (50) संयोजक, टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (54) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पंजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।